दो शिविरों की रपट

जागृति शिविर, सरकाघाट

सरकाघाट (हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी के गोपालपुर विकास खंड) में 7-11-89 से 11-11-89 तक आयोजित शिविर में औरतों के निजी जीवन की कुछ घटनाएं और अनुभवों पर सवाल-जवाब।

घटनाएं—लज्जा देवी गांव ढढीह में रहती हैं। 20 साल पहले इनके पति की मृत्यु हो गई, जिस कारण घर के काम-काज का सारा बोझ इनके ऊपर आ पड़ा। बच्चों का लालन-पालन तो करना था, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ज़मीन को जोत-बोकर इन्होंने बच्चों को पाला-पोसा और पढ़ा-लिखाकर काबिल बनाया। पर आज इनका बेटा ही इनसे बात तक करने को तैयार नहीं।

जसदेई गांव कुनालग में रहती हैं। इनके पति की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई। जसदेई ने अपने बारे में बड़े उत्साह से बताया—"दीदी ! औरत चाहे तो हर काम मुश्किलों से टकराकर भी कर सकती है।"

गीता देवी ने जो गांव खरोह की रहने वाली हैं बताया कि इनके 12 बच्चे हैं और इनके पति अब तक तीन बार शादी कर चुके हैं। क्योंकि पहली पत्नियां लड़का नहीं दे सकीं, सिर्फ जायदाद देखकर इनके मां-बाप ने इनका ब्याह कर दिया था।

गांव कुनालग की ही महाराजू देवी ने बताया कि ब्याह के बाद इनके चार बच्चे हुए और ब्याह के 6 साल बाद इनका पति इन्हें छोड़ गया। पांच-छह साल वे पति का इंतज़ार करती रहीं। इनके मां-बाप ने कुछ सहायता की। किसी तरह उन्होंने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया। अचानक 20 साल बाद इनका पति आसाम से दूसरी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर आ गया और साथ रहने लगा। धीरे-धीरे उसकी आदतें बिगड़ने लगीं। महाराजू ने हिम्मत कर पति से कहा कि वह अपने परिवार सहित अलग रहे और खुद कमा कर रोटी खाए। वह बेरोज़गार को कब तक रोटी खिलाती रहेगी। अब वह दूसरी पत्नी को छोड़कर उनके पास आना चाहता है और उनके नाम जो ज़मीन है उसमें से हिस्सा भी चाहता है।

ये औरतें जब अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रही थीं तब अन्य औरतों में अजीब शांति थी, क्योंकि सबके दुःख-दर्द मिलते-जुलते थे।

कुछ सवाल-जवाब

यदि औरतें हल को हाथ लगाएं तो अपशकुन क्यों माना जाता है ?

जवाब मिला कि कहते हैं यदि औरत हल को हाथ लगाए तो उसके पति की उम्र घट जाती है। साथ ही उन्होंने कहा यह डर भी है कि यदि औरतें हल चलाने लगेंगी तो सरकारी नीति के अनुसार ज़मीन पर उनका अधिकार न हो जाए। वैसे हल चलाना भारी काम है जिससे औरतों की बच्चेदानी को नुकसान पहुंच सकता है।

औरतें भारी काम नहीं कर सकतीं, यह कहकर उन्हें कमज़ोर बनाने की कोशिश मर्द करते रहते हैं। औरतों ने कहा—"हम दिन-रात खेतों में मेहनत करती हैं, पर ज़मीन पर हमारा एक फी सदी अधिकार भी नहीं है। हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है।"

गांव खरोह की गीता देवी ने बताया कि उनके गांव की एक औरत ने हल चलाया तो पूरे गांव में यह चर्चा है कि उसने समाज का नियम तोड़ा। कोई उसकी तारीफ नहीं करता है।

निर्मला की कहानी

निर्मला सुजानपुर-टीहरा (हिमाचल प्रदेश) की रहने वाली हैं। 28 नवंबर 1989 को उनका ब्याह कांगड़ा के महेंद्रकुमार के साथ हुआ।

(शेष पृष्ठ 35 पर)

(पृष्ठ 33 का शेष)

शादी के एक हफ्ते बाद ही उसका पति उसे जयपुरसिंह के शीतला मंदिर ले गया, जहां उसने प्रार्थना की कि "शीतला माता ! आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अपनी पत्नी को बहुत मारूंगा, लेकिन तू मेरे इस गुस्से को माफ़ कर देना।"
निर्मला ने समझा कि पति मज़ाक कर रहा है पर घर लौटते ही महेंद्र ने पत्नी को जूते से पीटना शुरू कर दिया। बीच-बीच में थप्पड़ भी मारे।

निर्मला बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब सास और ननद उसके सिर को सहलाते हुए कहने लगीं कि मारपीट की बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए वह चुप रही।

महेंद्र बार-बार यह धमकी देता था कि "तूने ज्यादा बकबक करने की कोशिश की तो तुझे किन्नौर ले जाकर कमरे में बंद कर जान से मार दूंगा और तेरी लाश को सतलुज में बहा दूंगा।"
निर्मला अब अपने मां-बाप के साथ रहती है। □